राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 00204/2024

विमला देवी

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, दिव्यांगत, अम्बेडकर भवन, जयपुर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.02.2024
आदेश की दिनांक : 19.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हिमांशु जैन, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2005 में अध्यापक ग्रेड–1 के पद पर हुई। अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक (लेवल–1) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दाबड़ी बालौद, झुंझुनू में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी एक दिव्यांग महिला है अपीलार्थी का निवास वर्तमान स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दाबड़ी बालौद, झुंझुनू से 10 कि. मी. दूर है जिससे अपीलार्थी को आने–जाने में पेरशानी होती है। अपीलार्थी के निवास स्थान के पास वीर चक्र सुबेदार सॉवलराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राणासर नलवगढ़, झुंझुनू में रिक्त पद होने के कारण अपीलार्थी ने वर्तमान स्थान से उपर्युक्त स्थान पर स्थानान्तरण कराने के संबंध में विभाग को दिनांक 04.10.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया लेकिन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का कोई निस्तारण नहीं किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 04.10.2023 के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दाबड़ी बालौद, झुंझुनू से वीर चक्र सुबेदार सॉवलराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राणासर नलवगढ़, झुंझुनू में किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य